उप राष्ट्रपति का सचिवालय

नई दिल्ली

****

उप राष्ट्रपति के सचिवालय में प्राप्त याचिकाओं की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

1. उप राष्ट्रपति के सचिवालय में प्राप्त सभी याचिकाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

   (क) कार्रवाई किए जाने योग्य याचिकाएँ

   (ख) कार्रवाई न किए जाने योग्य याचिकाएँ

2. कार्रवाई की जाने योग्य और कार्रवाई न किए जाने योग्य याचिकाओं का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाएगा :

क. <u>कार्रवाई किए जाने योग्य याचिकाएँ :</u>

(i) विशिष्ट शिकायतों वाली याचिकाएँ

(ii) भारत सरकार/ राज्य सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन अथवा सार्वजनिक सेवा के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएँ

(iii) महत्वपूर्ण सुझावों वाली याचिकाएँ

(iv) माननीय उप राष्ट्रपति के साथ मुलाक़ात हेतु समय लेने संबंधी याचिकाएँ

ख. <u>कार्रवाई न किए जाने योग्य याचिकाएँ:</u>

(i) अज्ञात याचिकाएँ

(ii) अहस्ताक्षरित याचिकाएँ

(iii) वे याचिकाएँ जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के उप राष्ट्रपति अथवा उप राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों को संबोधित नहीं हैं लेकिन भारत के उप राष्ट्रपति अथवा उप राष्ट्रपति सचिवालय को केवल एक प्रति पृष्ठांकित की गई हो ।

(iv) बिना किसी विशिष्ट शिकायतों वाली टिप्पणियों वाली याचिकाएँ ।

(v) विभिन्न आयोगों, निकायों, पुरस्कारों, पदों, वित्तीय सहायता के नामांकनों के लिए अनुरोध (विनिर्दिष्ट स्थिति के तहत विवेकाधीन अनुदानों के अलावा)

(vi) अधोलिखित स्वरूप अथवा इसके समान मदों के पक्ष प्रचार वाली याचिकाएँ:

(क) विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु दैनिक अनुरोध ।

(ख) भूमि/मकान/फ्लैट आदि के आवंटन हेतु दैनिक अनुरोध ।

(ग) नौकरी पाने, स्थानांतरण तैनाती, क्वार्टर की बदली के लिए दैनिक अनुरोध ।

(vii) अनुचित भाषा में लिखे गए पत्र ।

(viii) महत्वहीन पत्र जो अस्पष्ट प्रकृति के हैं तथा अबोधगम्य/अपठनीय हैं ।

(ix) महत्वहीन सुझावों वाली याचिकाएँ

(x) पुनरावर्ती प्रकृति की याचिकाएँ (एक ही व्यक्ति से प्राप्त) जिन पर इस सचिवालय द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है ।

टिप्पणी : किसी विशेष याचिका के वर्गीकरण में किसी प्रकार की शंका के मामले में, संबंधित अवर सचिव निर्णय करेंगे कि इस पर कार्रवाई की जाए अथवा नहीं ।

3. कार्रवाई न की जाने वाली सभी याचिकाओं को फाईल कर दिया जाएगा तथा इन याचिकाओं के लिए कोई पावती नहीं भेजी जाएगी ।

****